FORM No. TTT

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बसवा

(तहसील–बसवा) जिला–दौसा, राजस्थान

उनवान प्रकरण ....रामजीलाल.... बनाम ....रामावतार....

किस्म मुकदमा ....[illegible].... नंबर ....22.... सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकालो द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 10/12/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
10/12/24	पत्रावली पेश हुई, [illegible] [illegible] [illegible] अवलोकन [illegible], पत्रावली वास्ते [illegible] दि. 18-12-24 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	
18/12/24	पत्रावली पेश हुई, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] की गई, पत्रावली [illegible] [illegible] होकर [illegible] [illegible] उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या :– 22/2022
प्रकरण रज्जु दिनांक :– 4.4.2022
निर्णय दिनांक :– 18.12.2024

प्रकरण :– अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र
प्रकरण का उनवान

रामजीलाल पुत्र नानगराम उर्फ नानगा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम काटरवाडा तहसील बसवा जिला–दौसा राजस्थान

(प्रार्थी)

बनाम

1. रामवतार पुत्र नानगराम उर्फ नानगा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम काटरवाडा तहसील बसवा जिला–दौसा
2. शांति पुत्री नानगराम उर्फ नानगरा पत्नी बृजमोहन जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी गोला का बास, तहसील राजगढ जिला–अलवर
3. लाली पुत्री नानगराम उर्फ नानगा पत्नी खैराती जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी मीतरवाडी तहसील बसवा जिला दौसा राज.
4. तहसीलदार बसवा जरिये लैण्डहोल्डर, बसवा तहसील बसवा जिला–दौसा
5. उप पंजीयन अधिकारी, बांदीकुई तहसील बसवा जिला–दौसा

(अप्रार्थीगण)

–:निर्णय :–

(निर्णय वास्ते अस्थाई नि. प्रकरण संख्या 22/2022)

दिनांक :– 18.12.2024

उपस्थिति :–1. प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री घनश्याम शर्मा एवं श्री मनोज मिश्रा
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से एडवोकेट श्री नवीन कुमार गुर्जर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम काटरवाडा तहसील बसवा के खाता संख्या नया 82 पुराना 81 के खसरा नंबर 310 रकबा 0.17 हैक्टयर, 312 रकबा 0.66 हैक्टयर, 331 रकबा 0.42 हैक्टयर, 332 रकबा 0.46 हैक्टयर, 333 रकबा 0.37 हैक्टयर, 334 रकबा 0.40 हैक्टयर, 335 रकबा 0.21 हैक्टयर, 336 रकबा 0.71 हैक्टयर, 337 रकबा 0.28 हैक्टयर, 338 रकबा 0.40 हैक्टयर, 339 रकबा 0.65 हैक्टयर, 340 रकबा 0.73 हैक्टयर, 341 रकबा 0.02 हैक्टयर, 342 रकबा 0.05 हैक्टयर, 346 रकबा 0.10 हैक्टयर, 347 रकबा 0.75 हैक्टयर, 348 रकबा 0.39 हैक्टयर भूमि कुल किता 17 कुल रकबा 6.77 हैक्टयर स्थित है, एवं खाता संख्या नया 73 पुराना 72 खसरा नंबर 366 रकबा 0.10 हैक्टयर, 367 रकबा 0.56 हैक्टयर, 368 रकबा 0.61 हैक्टयर, 388/507 रकबा 0.02 हैक्टयर, 471 रकबा 0.88 हैक्टयर, 472/508 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.18 हैक्टयर, इसी प्रकार खाता संख्या नया 40 पुराना 39 खसरा नंबर 369 रकबा 1.76 हैक्टयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.76 हैक्टयर भूमि मुतदाविया है । भूमि मुतदाविया में दर्ज खातेदारी गीता पत्नी स्व.अशोक कुमार का खाता संख्या नया 73 में हिस्सा 3/40, एवं खाता संख्या नया 82 में हिस्सा 1/16, एवं खाता संख्या नया 40 में गीतादेवी के पति अशोक कुमार पुत्र नानगा हिस्सा 14/1143 खातेदारी में दर्ज है । खातेदार गीतादेवी

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

की मृत्यु दिनांक 24.9.2021 को लाऔलाद फौत हो चुकी है, एवं गीता देवी के पति अशोक पुत्र नानगराम उर्फ नानगा की मृत्यु दिनांक 29.3.2019 को लाऔलाद फौत हो चुकी है । मृतक गीता देवी को उक्त संपत्ति मृतक नानगराम की कब्जे काश्त खातेदारी से वारिसान के आधार पर मिली है । खाता संख्या नया 73 व 82 में तो मृतक गीतादेवी के नाम खातेदारी दर्ज हो गई थी, लेकिन खाता संख्या 40 में खातेदारी मृतक गीतादेवी के पति अशोक कुमार के नाम ही अंकित चली आ रही है । उक्त दोनों खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है । अब प्रार्थी मृतक गीतादेवी व अशोक कुमार के हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है, भूमि मुतदाविया मशर्तका खानदान की अविभाजित संपत्ति है जो कि मृतक नानगराम उर्फ नानगा के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है । जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 वारिसान के आधार पर उक्त भूमि में मृतक गीतदेवी व अशोक कुमार के हिस्से की भूमि की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है । प्रश्नगत आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किये जावें ।

ध्यातव्य है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 5.4.2022 को उपर्युक्त आराजी पर मौका एवं राजस्व रिकोर्ड की यथा स्थिति के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किये गये ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके, अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये । नोटिसों की तामील के उपरांत प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । तदोपरांत प्रतिवादी संख्या 1 ने एक्स–पार्टे सैट असाइड करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई ।

अप्रार्थी संख्या 1 रामवतार की ओर से प्रस्तुत अस्थाई नि. प्रार्थना पत्र का जवाब निम्नवत् न्यायालय हाजा के सम्मुख प्रस्तुत किया । प्रकरण के बिन्दु/पैरा संख्या 1 लगायत 3 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, पैरा नंबर में अंकन किया कि श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. अशोक शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी काटरवाडा द्वारा दिनांक 11.6.2019 को कुमारी निकीता शर्मा पुत्री राजेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ढाणी गरियाल ग्राम पाटन तहसील बस्सी जिला जयपुर को जरिये गोद पत्र दिनांक 11.6.2019 को उप पंजीयक बस्सी जिला जयपुर के समक्ष रूबरू गवाहान रामवतार शर्मा पुत्र नानगराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी काटरवाडा तहसील बसवा एवं ओम प्रकाश शर्मा पुत्र नारायण शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ढाणी गरियाल ग्राम पाटन तहसील बस्सी जिला जयपुर की मौजूदगी में पंजीकृत कराया है, जो पुरूतक संख्या 4 जिल्द संख्या 41 के पृष्ठ संख्या 945 से 950 पर चस्पा किया गया है, गोद पत्र की प्रति पेश है । कानूनन निकिता, गीता देवी की दत्तक पुत्री है जिसके जीवनकाल में प्रार्थी मृतक गीता और अशोक के हिस्से की भूमि की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है । कानूनन दावा विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है । कानूनन निकिता को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है । बिन्दु संख्या 4 में अंकन किया है कि सिजरा खानदान में गीतादेवी की दत्तक पुत्री निकिता जीवित है, निकिता ही गीता देवी की कानूनन वारिस है, प्रार्थी को गीतादेवी की संपत्ति में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है । बिन्दु संख्या 6 गलत व अस्वीकार होना अंकित किया है । दिनांक 28.3.2022 को प्रार्थी की मिन अप्रार्थी से कोई बात नहीं हुई है ।

प्रकरण के कम में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई । दोनों ही पक्षों ने अपने–अपने पक्षकार के पक्ष में दलील प्रस्तुत की ।

हमने पत्रावली का गहन अवलोकन किया, प्रकरण का अहम दस्तावेज, गोदनामा दिनांक 11.6.2019 का अवलोकन किया, जिसके मुताबिक दिनांक 11.6.2019 को श्रीमती गीता देवी शर्मा पत्नी अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गुढाकटला रोड, ग्राम काटरवाडा तहसील बसवा –प्रथम पक्षकार द्वारा – द्वितीय पक्ष 1. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामवतार शर्मा एवं 2. कमला देवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गरियाल, ग्राम पाटन, तहसील बस्सी जिला जयपुर से उनकी पुत्री कु. निकिता शर्मा उम्र 14 वर्ष को पूर्व में गोद लिया जा चुका था, तत्समय गोदपत्र तहरीर नहीं हुआ था, जिसे दिनांक 11.6.2019 को उप पंजीयक बस्सी जिला जयपुर के समक्ष पंजीबद्ध करवाने हेतु पेश किया गया । इस पंजीबद्ध दस्तावेज की पुश्त पर धारा 60 के अनुसार अंकन किया हुआ है कि –" आज दिनांक 12.6.2019 को पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 33 में पृष्ठ संख्या 96 कम संख्या 201903055400025 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 41 के पृष्ठ संख्या 945 से 950 पर चस्पा किया गया । 201901055002790"

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तानगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस पर मनन किया गया । प्रस्तुत नजीर एवं बहस के उपरांत हम वर्तमान में प्रभावी अस्थाई

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त करने अथवा स्थाई करने के लिये महत्वपूर्ण विन्दुओं का निर्धारण किया गया ।

1. **सुविधा का संतुलनः**– प्रार्थी पक्ष का कथन व अंकन है कि श्रीमती गीतादेवी व उनके पति श्री अशोक कुमार शर्मा लाऔलाद फौत हो गये, लिहाजा प्रार्थी उनकी भूमि में से उदघोषणा करवाने का अधिकारी है ।
चूंकि प्रकरण में मृतका खातेदार गीतादेवी द्वारा उसके जीवनकाल में कु. निकिता को गोद ले लिया था, तो मृतक खातेदार लाऔलाद की श्रेणी में नहीं आती है, लिहाजा बिन्दु विरूद्ध प्रार्थी तय किया जाता है । सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में तय नहीं होता है ।

2. **अपूरणीय क्षति का सिद्धांत** :–संपूर्ण प्रकरण का आद्योपांत अध्ययन यह बखूबी साबित करता है कि प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाकर प्रकरण पेश किया है । प्रकरण के न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होने से लगभग 4 वर्ष पूर्व, मृतका खातेदार द्वारा विधिवत गोद ग्रहण प्रकिया का निस्पादन किया है, ऐसी दशा में जबकि मृतक खातेदार की भूमि में से प्रार्थी उदघोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है । ऐसी दृष्टि में अपूरणीय क्षति का सिद्धांत बमुकाबले प्रार्थी के, अप्रार्थी पक्ष में सिद्ध होता है ।

3. **प्रथम दृष्टया मामला** :– संपूर्ण प्रकरण का आद्योपांत अध्ययन यह बखूबी साबित करता है कि प्रार्थी द्वारा मृतक खातेदार गीता देवी द्वारा गोदग्रहण दत्तक पुत्री कु. निकिता को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है । जबकि ऐसा किया जाना अत्यावयक था । लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला बमुकाबले प्रार्थी के, अप्रार्थी पक्ष में सिद्ध होता है ।

अतः उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस पर मनन एवं बिन्दुवार समीक्षा के उपरांत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 5.4.2022 को उपर्युक्त आराजी पर मौका एवं राजस्व रिकोर्ड की यथा स्थिति के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को प्रभाव में बनाये रखना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है ।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 5.4.2022 को उपर्युक्त आराजी पर मौका एवं राजस्व रिकोर्ड की यथा स्थिति के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)